तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज कैलाश बनाम लो.सू.अ. (मुख्य कार्यकार अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 183 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.20	अपीलार्थी कैलाश पुत्र जगदीश (दौलानी) पता डाबर मूलराज लोहावट, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.11.2019 में उसके द्वारा (1) लोहावट विश्नावास में स्टेट समय पट्टा जारी किया उस समय पट्टा की एवज में रकम जमा करवाई गई बही की पांच पांच प्रतियों में प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि अपील अति विलम्ब से प्रस्तुत की गई, परन्तु न्यायहित [illegible] सूचना अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध [illegible] अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को [illegible] आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anup Singh Inda
Date: 2020.12.08 14:30:05 IST
Reason: SelfAttested